

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र-2(क)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम(संशोधन)नियमावली,2013के नियम 17(क) को देखें

**कार्यालय- मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली उत्तराखण्ड**

पत्रांक/ अशासकीय वेसिक/2899-2903

/मान्यता नवी0/2020-2021,दिनांक 14 अगस्त 2020

सेवा में,

प्रबन्धक

श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल कर्णप्रयाग

विकास खण्ड कर्णप्रयाग जनपद चमोली।

विषय- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा19(2) के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बालशिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली,2013के नियम 17(क) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र के क्रम में आपके विद्यालय श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल कर्णप्रयाग विकास खण्ड कर्णप्रयाग जनपद चमोली को अधिनियम की धारा-19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है जनपद चमोली में आपके विद्यालय का पंजीकरण संख्या 0815165 है। विद्यालय (प्राथमिक स्तर)अंग्रेजी माध्यम से 31 मार्च 2023 तक मान्यता आदेश नवीनीकृत किया गया है।

भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम-18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ललित मोहन चमोला)

मुख्य शिक्षा अधिकारी

चमोली

/मान्यता नवी0/2020-2021,दिनांक 14 अगस्त 2020

पृ0 सं0/अशासकीय वेसिक/

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चमोली।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी।
- 4- कार्यालय पत्रवाली।

(ललित मोहन चमोला)

मुख्य शिक्षा अधिकारी

चमोली

परिशिष्ट-दो

प्रपत्र-2(क)

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम(संशोधन)नियमावली,2013के नियम 17(क) को देखें

कार्यालय- मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली उत्तराखण्ड

पत्रांक/ अशासकीय वेसिक/ 2999-2903 /मान्यता नवी0/2020-2021,दिनांक 14 अगस्त 2020  
सेवा में,

प्रबन्धक

श्री गुरु राम राय पब्लिक जूनियर हाईस्कूल कर्णप्रयाग  
विकास खण्ड कर्णप्रयाग जनपद चमोली।

विषय- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा19(2) के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एवं अनिवार्य बालशिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियमावली,2013के नियम 17(क) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा उपलब्ध स्वघोषणा पत्र के क्रम में आपके विद्यालय श्री गुरु राम राय पब्लिक जूनियर हाईस्कूल कर्णप्रयाग विकास खण्ड कर्णप्रयाग जनपद चमोली को अधिनियम की धारा-19(2) के अन्तर्गत अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है जनपद चमोली में आपके विद्यालय का पंजीकरण संख्या 0826079 है। विद्यालय ( जूनियर स्तर)अंग्रेजी माध्यम से 31 मार्च 2023 तक मान्यता आदेश नवीनीकृत किया गया है।

भविष्य में यदि अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित मानक एवं मानदण्डों का उल्लंघन दृष्टिगोचर होता है तो उत्तराखण्ड शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम-18 के अनुसार विद्यालय की मान्यता/अनापत्ति प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ललित मोहन चमोला)  
मुख्य शिक्षा अधिकारी

चमोली

/मान्यता नवी0/2020-2021,तददिनांक।

पृ0 सं0/अशासकीय वेसिक/

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा चमोली।
- 3- सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी।
- 4- कार्यालय पत्रवाली।

(ललित मोहन चमोला)  
मुख्य शिक्षा अधिकारी  
चमोली